संशोधित स्मृति – पत्र

1. संस्था का नाम : शुभम ग्रामोद्योग संस्थान
2. संस्था का पता : एम0 आई0 जी0 4 , सेक्टर –3, बर्रा–2 कानपुर
3. कार्यशाला का पता : ग्राम पोस्ट –कौह फतेहपुर
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरप्रदेश होगा , जिसे आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है।

संस्था के उददेश्य

1. संस्था का उददेश अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के विद्यालय , महाविद्यालय, एंव शिक्षण संस्थाओ की स्थापना एंव संचालन करना।
2. संस्था का उददेश्य जनता समाज के समुचित विकास कार्यक्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना जिसके लिए संस्था के द्वारा प्रारम्भिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल हाई स्कूल इण्टरमीडिएट स्तर तक की कक्षाओ का संचालन प्रबन्ध करना तथा संचालित विद्यालय की उन्नति एवं विकास करके उसको उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करना ।
3. जनपदों प्रदेशों में भिन्न नामों से प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज हिन्दी व अग्रेजी माध्यम से विद्यालय / कन्या व महिला इण्टरकालेज/ डिग्री कालेज को खोलना व चलाना। आवासीय विद्यालय विकलांग विद्यालय खोलना व चलाना।
4. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत स्टेडियम इन्जीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, पैरा मेडीकल कालेज ,पालीटेक्नीक ,आई0टी0आई0, बी0टी0सी0, लॉ कालेज आदि के लिए अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता लेना तथा इस हेतु व्यवसायिक पाठयकम के प्रशिक्षण हेतु संस्थाओ की स्थापना करना व संचालन करना।
5. उ0प्र0 सरकार की घोषित नीति एवं योजना कार्यक्षेत्र की महिलाओं व सर्वागीण विकास हेतु महिला इण्टर कालेज व महिला डिग्री कालेज व महिलाओ के लिए प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओ को खोलना व उसे चलाना।
6. यह संस्था सामाजिक जागृति उत्पन्न करके समाज का सर्वांगीण विकास करके सर्व समाज के उन्नति एंव विकास के लिये कार्य करेगी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगी।
7. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं / विभागों से शहर व ग्रमीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सांसद निधि विधायक निधियों से ग्रमीण व अविकिसित क्षेत्र में विकास एवं सहयोग लेना।
8. वृद्व , विकलांग , मानसिक रूप से कमजोर , विधवा , पतिता, परित्यक्तता, समाज शोषित, निराश्रित ,कुष्ठ रोगियों , अनाथ मुक्त हुये बाल श्रमिकों , देह व्यापार से मुक्त हुयी महिलाओं एवं उनके बच्चों झुग्गी झोपडी में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों एवं भिक्षुओं के उत्थान पुर्नस्थापन एवं समग्र विकास हेतु कार्ययोजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना। उनके लिये शिक्षा के अवसरों का सृजन करना। विद्यालयों को खोलना तथा ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके।

अध्यक्ष संस्थान

सत्य–प्रतिलि

9. समाज में विज्ञान के लोकप्रियकरण व विज्ञान के प्रचार हेतु गोष्ठियों एव प्रर्दशिनियों का आयोजन करना तथा समाज के विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा आयोजित योजनओं व कार्यक्रमों का संचालन प्रबन्धन व अनुरक्षण करना।

10. समाज कल्याण विभाग , उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , कपार्ट , सिप्सा , नावार्ड , आवार्ड , मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनिसेफ इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एंव बालविकास कार्यक्रमों ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनमें फेलोशिप प्राप्त करना।

11. महिलाओ एवं कामकाजी महिलाओ के लिए छात्रावास , निशुल्क विधिक सहायता ,पालनाघर व स्वरोजगार हेतु उपयोगी संस्थाओ की स्थापना शासन प्रशासन के सहयोग एवं सहायता से करना ।

12. वृद्वजनों के हितों के प्रति जागरूक रहना। उनके कल्याण हेतु वातावरण तैयार करना तथा परिवार से तिरस्कृत वृद्वजनों के लिये वृद्वाश्रम स्थापित कर उनके स्वस्थ मनोरंजन भोजन स्वास्थय सुरक्षा देख रेख आदि की समुचित व्यवस्था करना।

13. नशा मुंक्त समाज का निर्माण करना इसके दुष्प्रचार के प्रभाव से जनमानस को जागृत करना।

14. समाज में व्याप्त छुआछूत मद्दपान दहेज प्रथा अन्धविश्वास निरक्षरता बाल विवाह भ्रूण परीक्षण आदि कुप्रथाओं को नष्ट करने हेतु जनमानस में चेतना जागृत करना।

15. कृषि विविधीकरण हेतु कृषकों को सामान्य फसलों के अतिरिक्त व्यवसायिक फसलों जैसे –वनोषधि ,औषधीय पादप तथा अन्य के प्रति जागरूक करना तथा इसके उत्पादन के लिये प्रयास करना।

16. शासन प्रशासन की सक्षम अनुंमति से सड़कों व नहरों व छोटी नहरों के किनारों वृक्षारोपण कराना।

17. अनुपयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाना एवं वैज्ञानिक पद्धति से खेती कराने के प्रशिक्षण एवं सेमिनार कराना आदि ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य करना तथा इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व क्रियान्वित करना व कराना ।

18. विकलांग ,अन्ध विद्यालय मानसिक रूप से मन्द बुद्धि बच्चों के लिए पुर्नवास प्रशिक्षण एवं जीवन यापन हेतु व्यवस्था करने के लिए शासन प्रशासन से योजनाएं लेना व चलाना ।

19. विकलांगों को समाज में समुचित व सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु उन्हें स्वावलम्बी बनाना उन्हें साक्षर व तकनीसियन बनाने हेतु विकलांग अवासीय विद्यालय/ विकलागं छात्रावास आदि की व्यवस्था करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण आवास भोजन स्वास्थय आदि की समुचित व्यवस्था करना।

20. मूक बधिर, दृष्टि बाधित , एंव मेन्टल रिटायर्ड विद्यालयों की स्थापना करना।

21. विकलागों के लिये कृत्रिम अंगों व विकलांग उपकरणों का मुफत वितरण करना व कराना।

22. संस्था मुख्य रूप से समाज की सुख शान्ति एवं खुशहाली के वातावरण को तैयार करने हेतु पर्यावरण को सुरक्षित एवं सन्तुलित एवं सुरक्षित रखने की दशा में प्रयास करेगी इसके लिये समाज को सम्पूर्ण रूप से जागरूक बनायेगी तथा ऐसे समस्त योजनाओं व कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना येागदान करेगी। पर्यायवरण सम्बन्धी शिविरों सम्मेलनों गोष्ठियों एवं सेमिनारों पदयात्राओं का आयोजन कराना तथा पर्यायवरण से सम्बन्धित सामग्रियों का पकाशन व मुफत वितरण की व्यवस्था करना।

23. पर्यायवरण सम्बन्धी जानकारी जनमानस को देना तथा पर्यायवरण सुरक्षा संरक्षण के उपायों को बताने में मदद करना। तथा ऐसे कार्यक्रम कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित करना व कराना जिनसे पर्यायवरण सुरक्षा संवर्द्धन हो सके।

24. सस्था अपने कार्य क्षेत्र के नागरिको को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओ को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

25. सस्था अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत गरीब परिवार को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रोगो की पहचान तथा उनके उपचार के बारे मे आवश्यक जानकारी जन साधारण को देगी।

26. संस्था के द्धारा देश प्रदेश के अर्न्तगत गरीबो की मदद के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करेगी ।

27. मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए योजनाओ व कार्यक्रमो को चलाना।

28. बच्चो को संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त उनका टीकाकरण कराना।

29. परिवार कल्याण की योजनाओ परिवार नियोजन कार्यक्रमो का आयोजन करके समाज से जनसंख्या के बढते हुए घनत्व को नियत्रित करने के उपायो को करना इस हेतु शासन प्रशासन की परिवार कल्याण नीति एवं योजनाओ की जानकारी समाज के सभी वर्गो को उपलब्ध कराकर अपनाने के लिए प्रेरित कराना।

30. ग्रामीण एवं पिछडे हुए इलाको तथा मलिन बस्तियो के सुधार व शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास की योजनाओ को पहुचाने का प्रयास करना।

31. सस्था दूरस्थ ग्रामीण व पिछडे हुए क्षेत्रो के लिए मोबाइल चिकित्सा की व्यवस्था करेगी इसके लिए गांव व शहर मे समुचित दवाइयो एवं सुयोग्य चिकित्सको को भेजने की व्यवस्था करना।

32. गरीबो के इलाज की निशुल्क व्यवस्था करना उन्हे भोजन दवा व रहने का स्थान उपलब्ध कराना।पिछडे एवं गरीबी से ग्रस्त सुदूर स्थलो पर जहां इलाज के समुचित संसाधन नही है निशुल्क स्वास्थ्य शिविरो नेत्र चिकित्सा शिविरो का आयोजन कराना तथा गरीबो के स्वास्थ्य की जांच तथा रोगो के पहचान तथा निशुल्क दवा आदि का वितरण कराना।

33. .शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से प्रदेश देश तथा जहाँ पर बीमारीयो का प्रकोप बढ गया हो वहाँ चिकित्सको का दल भेजकर पीडित जनता की मदद करना।

34. समाज को स्वस्थ्य बनाने के लिए कार्यक्रमो को आयोजित करना ।समाज के सभी वर्गो को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओ को उपलब्ध कराना इसके लिए धर्मार्थ चिकित्सालय , निशुल्क टीकाकरण तथा एड्स ,कैंसर,दमा, यक्ष्मा , हेपेटाईटिस जैसे गम्भीर रोगो की रोकथाम मे उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना।इस हेतु धमार्थ चिकित्सालयो की स्थापना करना।चल चिकित्सा का संचालन करना।समाज को स्वस्थ एंव निरोग बनाने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविरो , नेत्र व रक्त शिविरो का आयोजन करना,गरीब बेसहारा ,विकलाग विधवाओ के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना

35. समाज मे जागरूकता लाना इसके लिए सामाजिक , आर्थिक, विषयो पर आधारित शिविरो सम्मेलनो , गोष्ठियो , सेमिनारो , का आयोजन करके प्रिण्ट मीडिया , इलैक्ट्रानिक मीडिया ,एवं संचार के अन्य माध्यमो के माध्यम से जन साधारण को संस्था से जोडने का प्रयास करना ।तथा संस्था के उददेश्यो एव कार्यक्रमो को उन तक पहुचाने का प्रयास करना ।

36. विस्थापित एव बेघर , अनाथ, व आवारा (स्ट्रीट चिल्ड्रन्स) को जन साधारण को प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा ,स्वास्थ्य सेवाओ जैसे ससाधन उपलब्ध कराने की दिशा मे प्रयास करना इसके लिए उन्हे शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर समाज मे प्रतिस्थापित करने के सभी कार्य करना ।उन्हे शिक्षा , स्वास्थ्य एवं विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना ताकि उन्हे राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा से जोडा जा सके ।वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतो, ,पेट्रोलियम बचत,सडक सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण बन्धुआ मजदूर उन्मूलन ,दहेज उन्मूलन ,मद्यनिषेध ,महिलाओ के समानता का अधिकार ,पंचायती राज , रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय ,कृषि मंत्रालय , खेलकूद मंत्रालय , युवा कल्याण मंत्रालय , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , महिला एवं बाल विकास विभाग सहित भारत सरकार की विभिन्न विभागो की योजनाओ को संचालित करना। जागरूकता कार्यकमो का प्रचार प्रसार करना।

37. समाज कल्याण विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण ,नगरीय विकास अभिकरण सूडा/डूडा सेल, कपार्ट ,नाबार्ड, यूनिसेफ, सिप्सा ,सिडवी,नोरड ,अवार्ड ,महिला मल्याण निगम बाल विकास एव पुष्टाहार विभाग ,खाद्यप्रसंस्करण विभाग ,ऊसर बंजर भूमि विकास निगम,कृषि विभाग ,श्रम विभागो अनुभागो समस्त प्रकार के कार्यकमो एंव योजनाओ का प्रचार प्रसार करना।

38. अनाथालय,व्यायामशाला,ओल्ड ऐज होम का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शिनी सेमिनार/कार्यशाला ,प्रशिक्षण कार्यकम,,सांस्कृतिक ग्रंथ एंव पत्रिकाओ का निःशुल्क प्रकाशन ।विशिष्ट व्यक्तियो के लिए पुरुष्कार एंव उनको सम्मानित करने की व्यवस्था करना।

39. जल संरक्षण, भूमिगत जल स्त्रोतो की खोज व उनका संरक्षण करना ., पेयजल की उपलब्धता हेतु कार्य करना ।ग्रामीण विकास हेतु नलकूप/सिंचाई के साधन, खाद उन्नत बीज,कीटनाशक दवाओं के सम्बन्ध मे किसानो को जागरूक बनाना ।लिंक मार्ग प्रकाश व अन्य जनससमस्याओ का निराकरण एंव नागरिक सुविधाओ की उपलब्धता हेतु कार्य करना ।

40. सौर ऊर्जा,गोबर गैस ,पन विद्युत आदि संयंत्रो की स्थापना करना।,शहरी कस्बाई एंव ग्रामीण अंचलो मे सुलभ शौचालयो की स्थापना व संचालन करना।

41. सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यकम (डी0पी0ए0पी0) / जलागम के अर्न्तगत एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यकम (आई0डब्लू0डी0पी0) सुनिश्चित रोजगार योजना (एस0आर0वी0) , उ0प्र0कृषि विविधीकरण परियोजना के अर्न्तगत कृषि के विभिन्न घटको के विकास हेतु , औद्योगिक विकास की योजनाओ का आयोजन व कियान्वयन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार एवं उनके विभागो अनुभागो के सहयोग से करना ।

42. उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य सरकार , केन्द्रीय सरकार , तथा उनके विभागो और अनुभागो से तथा वित्तीय संस्थाओ व संस्थानों , दानदाताओं , व्यापारिक प्रतिष्ठानों , स्थानीय निकायों , राज्य समाज कल्याण विभाग , केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उत्तरप्रदेश महिला कल्याण निगम , खादी ग्रामोद्योग बोर्ड , /आयोग आदि से उनकी योजनाओ व कार्यकमो को लेना व उनसे योजना व कार्यकम चलाने की अनुमति प्राप्त करते हुए दान अनुदान ऋण आदि प्राप्त करके उद्देश्यो की पूर्ति मे व्यय करना।

43. निर्धन तथा अनाथ लोगो व पिछडे क्षेत्रो के विकास हेतु केन्दीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो ,मंत्रालयो जैसे – स्वास्थ्य , परिवार कल्याण मंत्रालय , यूनीसेफ हडको , महिला एवं बाल विकास विभाग , कपार्ट , काई , सिप्सा , नावार्ड, अवार्ड , नौराड , डूडा , सूडा, सिडवी , राष्ट्रीय

सत्य–प्रतिलि

महिला कोष , बाल विकास पुष्टाहार , महिला कल्याण , एवं बाल कल्याण निधि , महिला कल्याण निगम , राष्ट्रीय बाल भवन, वस्त्र , शिल्प हस्त मंत्रालय , पर्यावरण मंत्रालय , मत्स्य विभाग , समाज कल्याण बोर्ड , केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , श्रम मंत्रालय , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय , राजीव गॉधी फाउण्डेशन , विश्व स्वास्थ्य संगठन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिष्द के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ व कार्यकमो को चलाकर नागरिको का सर्वागीण विकास करना

44. संस्था संविधान के अनुच्छेद 29, 30 के अनुपालन मे अल्पसंख्यक वर्ग के हितो का संरक्षण करना एंव शैक्षणिक संस्थाओ की स्थापना एंव संचालन करना।

45. देश प्रदेश की जनता मे सामाजिक , नैतिक , आर्थिक , सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नीति के लिय चेतना का विकास करना, जिससे जन–जीवन सुख– समृद्धि से परिपूर्ण हो सके।

46. ग्रामीण जनता की उन्नति हेतु जन– कल्याणकारी कार्यकमो को अपनाकर उन्हे संचालित करना।

47. क्षेत्र के किसानो , श्रमिको , कारीगरो , महिलावो और बेरोजगार युवको का लाभदायक रोजगार देकर उन्हे आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना।

48. ग्रामीण निर्धनो तथा आर्थिक दृष्टि से पिछले लोगो की जीविका और आवासीय समस्याओ के सामाधान के लिए कार्य करना।

49. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , खादी आयोग , कुटीर एंव ग्रामोद्योग निदेशालय राज्य सरकार एंव केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित ग्रामोद्योग, उद्योगो का प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन और बिकी के कार्यो मे लोगो को लगाना तथा योजनाओ और उद्योगो का प्रचार प्रसार करना तथा अर्जित आय को चेरिटेबिल कार्यो मे व्यय करना।

50. ग्रामीण जनता के कल्याणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि कार्यक्रमो की व्यवस्था करना।

51. ग्रामीण उद्योगो जैसे खाद्य पदार्थ , प्रसंस्करण , मिट्टी का काम, इंट, भट्टा, फल प्रशोधन , धनधारित एंव कृषि आधारित उद्योगो के विकास हेतु, भवन , नयी पूजी, बाजार प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके उद्योगो की स्थापना और संचालित करके ग्रामीण समुदाय को लाभदायक रोजगार देना।

52. उददेश्यो की पूर्ति हेतु राज्य एंव केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागो , उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , खादी ग्रामोद्योग आयोग , राष्ट्रीयकृत बैंको , अर्द्ध सरकारी विभागो , वित्तीय संस्थाओ , एंव नागरिको से आर्थिक सहायता (ऋण – अनुदान) , चन्दा , दान, अमानते , चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

अध्यक्ष
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

मंत्री
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

मो. आजम

सत्य प्रतिलिपि